संख्या: 12/2016/284 /61-2016.

प्रेषक,

एस0 पी0 उपाध्याय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2016.

विषय: कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक को सचिवालय विशेष भत्ता स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-227/दस-09-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 02 फरवरी, 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक के पदधारकों को उत्तर प्रदेश सचिवालय के समान अनुमन्य समकक्षता के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री राज्यपाल महोदय निम्न तालिका में अंकित दरों पर सचिवालय विशेष भत्ता दिये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

क्र0स0	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	उत्तर प्रदेश सचिवालय का समकक्ष पदनाम	दिनांक 01.12.2008 से पूर्व अनुमन्य होने वाला सचिवालय विशेष भत्ता (रू0 में)	दिनांक 01.12.2008 से अनुमन्य होने वाला सचिवालय विशेष भत्ता (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	सहायक लेखाधिकारी	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800	समीक्षा अधिकारी के समकक्ष	140	1500
2	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	सहायक समीक्षा अधिकारी के समकक्ष	120	850
3	लेखा परीक्षक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800	टंकक/नैत्यिक लिपिक के समकक्ष	100	850

----/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-147/दस-2016 दिनांक 16.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

संख्या: 284(1)/61-2016, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद।
(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(5) निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग सचिवालय, लखनऊ।
(6) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।